इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 9001:2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या: 15 | अंक संख्या: 11 | जून, 2023 | पृष्ठों की संख्या - 9

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ..... 2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ..... 3
विनियामक के कथन 3
आर्थिक संवेष्टन 4
नई नियुक्तियाँ..... 5
विदेशी मुद्रा 5
शब्दावली 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी 6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 7
संस्थान समाचार..... 7
नयी पहलकदमी 8
बाजार की खबरें..... 8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षाकृत अधिक हरित, स्वच्छ भारत पर ध्यान संकेन्द्रण: हरित वित्तीयन की आवश्यकता सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% रहने का अनुमान

''अधिक हरित अधिक स्वच्छ भारत'' के प्रतिपाद्य विषय पर आधारित वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट (RCF) की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

भारत में वहनीय उच्च वृद्धि के प्रति भावी चुनौतियों के आकलन के उद्देश्य से उक्त रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के चार मुख्य आयामों यथा- जलवायु परिवर्तन अभूतपूर्व परिमाण एवं गति, इस परिवर्तन के स्थूल-आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थिरता पर इसके निहितार्थ तथा जलवायु जोखिमों को न्यूनीकृत करने के लिए विचारणीय नीतिगत विकल्प पर ध्यान केन्द्रित रखा गया है।

जलवायु परिवर्तन कार्य-निष्पादन सूचकांक 2003 के अनुसार कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु लक्ष्यांकित एवं समयबद्ध जलवायु कार्य-योजना पर उपक्रम करने के बाद जी20 के सभी देशों में भारत वर्तमान में प्रथम स्थान पर है।

भारत ने 2070 तक निवल शून्य लक्ष्य प्राप्त करने का ध्येय नियत कर रखा है, जिसके लिए उसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की ऊर्जा गहनता/प्रबलता में लगभग 5% की त्वरित वार्षिक कमी लाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, उसे 2070-71 तक हमारे ऊर्जा संविभाग/पोर्टफोलियो के लिए लगभग 80% सम्मिश्र (mix) के समावेश वाले नवीकरणीयों (renewables) के साथ अप्रत्याशित व्यवस्था करने की भी जरूरत होगी।

यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत की हरित वित्तीयन आवश्यकता सकल घरेलू उत्पाद की कम से कम 2.5% होगी।

2070 तक निवल शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2030 तक उसके हरित संक्रमण से संबन्धित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की सहायता करने के उद्देश्य से समस्त नीतिगत लाभों (levers) में प्रगति के साथ एक संतुलित नीतिगत अंतराक्षेपण/हस्तक्षेप अत्यंत वांछनीय है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

वायर अंतरण के लिए प्रवर्तकों, लाभार्थियों के संबंध में पूरी जानकारी अनिवार्य : भारतीय रिजर्व बैंक

वायर अंतरण (Wire Transfer) से संबन्धित अपने ग्राहक को जानिए (KYC) के बारे में अपने मुख्य/मास्टर निदेश में समाविष्ट अपने अनुदेशों को अद्यतन करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने का अनुदेश दिया है कि सभी घरेलू और सीमा-पार वाले वायर अंतरणों में प्रवर्तक (originator) एवं लाभार्थी (beneficiary) के बारे में पूरी सूचना/जानकारी का समावेश हो। ये अद्यतन वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (FATF) की सिफ़ारिशों के अनुरूप हैं।

तदनुसार, यदि 50,000 रुपए या उससे अधिक के किसी घरेलू वायर अंतरण का प्रवर्तक आदेशदाता विनियमित संस्था/कंपनी (RE) का खाता धारक नहीं है, तो उक्त अंतरण के साथ सीमा-पार वाले वायर अंतरणों के लिए यथा-वर्णित प्रवर्तक और लाभार्थी के संबंध में सूचना दी गई हो। आदेशदाता से आशय है वायर अंतरण की कार्यवाही आरंभ करने वाली तथा प्रवर्तक की ओर से निधि अंतरित करने वाली कोई वित्तीय संस्था/कंपनी।

इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी विनिर्दिष्ट किया है कि उपयुक्त कानून प्रवर्तक एजेंसियों, अभियोजन प्राधिकारियों (prosecutorial authorities) अथवा वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (FIU-IND) द्वारा वायर अंतरण के संबंध में सूचना हेतु अनुरोध किए जाने पर विनियमित संस्थाओं को समुचित कानूनी प्रावधानों के अधीन इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करानी होगी।

तथापि, इन अनुदेशों में माल एवं सेवाओं की खरीद के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत (PPI) का उपयोग करते हुये किए जाने वाले अंतरणों का समावेश नहीं है।

क्रेडिट कार्डों के जरिये विदेशी मुद्रा खर्च करना भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत विप्रेषण योजना के अधीन आता है

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाते के लेनदेन) (संशोधन) नियम, 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में खर्च की गई रकम को भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के अधीन ला दिया गया है। उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत किसी निवासी द्वारा प्रति वर्ष अधिकतम 2.50 लाख अमरीकी डालर की रकम भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकरण के बिना विदेशों में विप्रेषित की जा सकती है। हालांकि, विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हुये उक्त रकम से अधिक के किसी भी विप्रेषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

अब तक, विदेश स्थित किसी देश की यात्रा करते समय भुगतान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों (ICCs) के उपयोग को उदारीकृत विप्रेषण योजना में शामिल नहीं किया गया था।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम अब सरकारी योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं : भारतीय रिजर्व बैंक

सरकारी लाभों को प्राप्त करने तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार वर्गीकरण में सूचीबद्ध होने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (IMEs) की परिभाषा को औपचारिक रूप से स्पष्ट कर दिया है।

अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम ऐसे उद्यम होते हैं जिन्हें स्थायी खाता संख्या (PAN) अथवा माल और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) जैसे अनिवार्य प्रलेखों के अभाव के कारण उद्यम पंजीकरण पोर्टल (URP) पर पंजीकृत नहीं कराया जा सकता। यह अभाव उन्हें सरकारी योजनाओं अथवा कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ बना देता है। तथापि, अब से एक उद्यम सहायता प्रमाणपत्र रखने वाले अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार वर्गीकरण के उद्देश्यों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के अधीन सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन विवरणी जमा करने से छूट प्राप्त उद्यमों का पण्यावर्त उद्यम सहायता कार्यक्रम (UAP) के उद्देश्य हेतु अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम के रूप में परिभाषित किए जाने का एकमात्र मानदंड होगा। तदनुसार, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम वे उद्यम होते हैं जिन्हें माल और सेवा कर प्रणाली में समाविष्ट नहीं किया गया है।

विनियामक के कथन

कुछेक बैंकों में अभिशासन अंतराल : अस्थिरता से बचने के लिए उन्हें दूर करें : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

शीर्ष बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए आयोजित बैंकों के निदेशकों के सम्मेलन में उदघाटन व्याख्यान देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि भारत में कुछेक बैंकों के कॉर्पोरेट अभिशासन में अब भी अंतराल मौजूद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछेक बैंकों में अस्थिरता का जिक्र करते हुये श्री दास ने बैंकों के बोर्डों और प्रबंधन द्वारा इन अंतरालों को दूर किए जाने का आग्रह किया, ताकि हमारे बैंकिंग क्षेत्र में अस्थिरता के विसर्पण को रोका जा सके।

इस प्रकार के अंतरालों के निर्माण की घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सात ऐसे महत्वपूर्ण वर्ण्य विषयों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं जिन पर बोर्ड की बैठकों में चर्चा की जानी चाहिए यथा – व्यवसाय रणनीति, वित्तीय रिपोर्टें और उनकी अखंडता/ईमानदारी, जोखिम, अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन तथा मानव संसाधन। अध्यक्ष (Chairperson) की नियुक्ति, बोर्ड की बैठकों के संचालन, बोर्ड की महत्वपूर्ण समितियों की संविरचना, निदेशकों की आयु, उनके कार्यकाल एवं पारिश्रमिक यथा पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भी दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

इस प्रकार के हितकर/अनुकूल दिशानिर्देशों के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में कुछेक बैंकों के अभिशासन में ऐसे अंतराल देखने में आए हैं जो उचित समय में दूर न किए जाने पर अस्थिरता की दृष्टि से कष्टकर/चिंताजनक सिद्ध हो सकते हैं।

अच्छे जोखिम प्रबंधन, अभिशासन एवं अनुपालन बैंकों की वित्तीय स्थिरता की कुंजी हैं : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर

सरकारी नियंत्रणाधीन और निजी बैंकों के निदेशकों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ के॰ जैन ने कहा है कि बैंकों के बोर्डों को संभाव्य जोखिमों से निपटने के लिए तैयारी करते समय अनुपालन एवं प्रभावी अभिशासन पर बल देने के अलावा सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का आवश्यक रूप से अनुसरण करना चाहिए। ये तीन कारक किसी बैंक की प्रतिष्ठा, वित्तीय स्थिरता तथा दीर्घकालिक व्यवहार्यता को संरक्षित रखने के लिए अति पवित्र/अलंघनीय (sacrosanct) होते हैं।

प्रभावी अभिशासन के लिए एक ऐसा सक्षम एवं स्वतंत्र बोर्ड आवश्यक होता है जो संगत प्रश्न पूछते हुये प्रबंधन पर नजर रखता हो तथा जोखिम वहन क्षमता (risk appetite) के अनुरूप उपयुक्त रणनीतियाँ निर्धारित करता हो।

ऋणदाताओं को अपने व्यवसाय की एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से जांच करनी चाहिए तथा अपनी वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा एवं अपेक्षाकृत व्यापक सामाजिक और पर्यावरणात्मक कारकों पर अपने निर्णयों के प्रभाव की समीक्षा करनी चाहिए।

बोर्डों को सावधान और अनुकूली (adaptive) बने रहने, बैंक के कार्य-निष्पादन, जोखिमों एवं अवसरों का निरंतर मूल्यांकन करते रहने और सही समय पर तथा सुविज्ञ निर्णय लेने की आवश्यकता है।

वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, सही समय पर चुनौतियों पर विजय पाने पर ध्यान केन्द्रित : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल पात्रा ने कहा है कि शीर्ष बैंक ऐसे अन्य पक्ष जोखिमों तथा आउटसोर्सिंग से निपटने के लिए वित्तीय संस्थाओं के सामर्थ्य को सुदृढ़ कर रहा है जो बड़ी टेक कंपनियों और फिनटेक से उद्भूत हुये हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय (cross-sectoral) और स्थूल-वित्तीय निहितार्थों एवं जोखिमों का पता लगाने के लिए उक्त आख्यान (narrative) को वित्तीय स्थिरता एवं वित्तीय अखंडता जैसी चिंताओं से परे रखने के उद्देश्य से व्यापक बनाना है।

डॉ॰ पात्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तित इन्दिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के पहले बैच के पूर्व छात्रों (alumni) की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने यह कहा कि भारत 2048 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए सन्नद्ध है और वह भविष्य का आर्थिक शक्ति केंद्र (Powerhouse) भी बन सकता है, बशर्ते चुनौतियों के घुमाव (slew) पर सही समय पर काबू पा लिया जाए।

अन्य बातों के साथ ही भारत - जिसकी माध्यिका (median) आयु 28 वर्ष है – को जनसांख्यिकीय (demographic) लाभांश का लाभ उठाने के लिए अपनी युवा जनसंख्या को आर्थिक अवसर प्रदान करना होगा। वर्तमान में, भारत की विद्यमान कार्य करने की आयु (working age) वाली जनसंख्या का केवल आधा अंश ही श्रम शक्ति (labour force) का हिस्सा है। भारत को कौशल उन्नयन (skilling) की रणनीति को प्राथमिकता के आधार पर चुस्त-दुरुस्त करना होगा।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी अप्रैल, 2023 की मासिक आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- अप्रैल, 2023 में पीएमआई विनिर्माण चार माह के उच्च स्तर पर रही।
- पीएमआई सेवा 13 वर्षों में सर्वाधिक तीव्र गति से विस्तारित हुई।
- वित्त वर्ष 23 की अंतिम तिमाही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) तथा आठ मुख्य उद्योगों के सूचकांक (ECI) में क्रमश: 4.8% और 6.5% की वर्षानुवर्ष सुदृढ़ वृद्धि परिलक्षित हुई।
- सक्षमता उपयोग वित्त वर्ष 23 की 2री तिमाही के 74% से बढ़कर वित्त वर्ष 23 की 3री तिमाही में 74.3% हो गया।
- भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ (FICCI) के विनिर्माण सर्वेक्षण के अनुसार बारह में से नौ सेक्टर 70% से अधिक की सक्षमता से परिचालन कर रहे हैं।

- 18 माह तक 5 दोहरे अंकों में बने रहने के उपरांत थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति घटकर अप्रैल, 2023 में 33 माह के निम्न स्तर यथा –0.9 पर आ गई।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति भी अप्रैल, 2022 के 7.8% के उच्चतम स्तर से क्रमिक रूप से घटकर अप्रैल, 2023 में 4.7% के रूप में 18 माह के निम्न स्तर पर आ गई।
- अप्रैल, 2023 में माल और सेवा कर (GST) वसूलियाँ 1.87 लाख करोड़ रुपए के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुँच गईं।
- भारत के तिजारती निर्यात में वैश्विक महामारी के पूर्व वाले वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में 22% की वृद्धि दर्ज हुई। यह विश्व के तिजारती निर्यात के मुक़ाबले 17.5% है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) की अद्यतन विश्व व्यापार रिपोर्ट के अनुसार तिजारती व्यापार में विश्व के अग्रणी निर्यातकों के बीच भारत 2020 में 21वें स्थान के मुक़ाबले 2021 में आगे बढ़कर 18वें स्थान पर पहुँच गया।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
डॉ॰ एन॰ कामकोडी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सिटी यूनियन बैंक
श्री कैजद भरूचा	उप प्रबंध निदेशक, एचडीएफसी बैंक
श्री रजनीश करंटक	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक आफ इंडिया

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	26 मई, 2023 के दिन करोड रुपए	26 मई, 2023 के मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4864556	589138
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4301298	520931
1.2 सोना	370756	44902
1.3 विशेष आहरण अधिकार	150207	18192
1.4 अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	42295	5113

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जून, 2023 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	5.06
जीबीपी	4.4281
यूरो	3.147
जापानी येन	-0.062
कनाडाई डालर	4.500
आस्ट्रेलियाई डालर	3.85
स्विस फ्रैंक	1.444863
न्यूजीलैंड डालर	5.50
स्वीडिस क्रोन	3.390
सिगापुर डालर	3.7343
हांगकांग डालर	4.23572
म्यांमार रुपया	2.97
डैनिश क्रोन	2.7760

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

वायर अंतरण

वायर अंतरण से अभिप्राय है किसी लाभार्थी संस्था में किसी लाभार्थी को निधियाँ उपलब्ध कराने के इरादे से इस बात पर ध्यान दिये बिना कि प्रवर्तक (originator) और लाभार्थी (beneficiary) एक ही व्यक्ति हैं या नहीं किसी प्रवर्तक की ओर से किसी वित्तीय संस्था के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक साधनों द्वारा किया जाने वाला कोई लेनदेन।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात

ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात (DSCR) वर्तमान ऋण दायित्व (debt obligation) का भुगतान करने के लिए किसी फर्म के उपलब्ध नकदी प्रवाह को मापता है। ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात निवेशकों और ऋणदाताओं को यह दर्शाता है कि किसी कंपनी के पास उसके ऋणों का भुगतान करने हेतु पर्याप्त आय मौजूद है या नहीं। उक्त अनुपात की गणना मूलधन और ब्याज सहित ऋण शोधन द्वारा निवल परिचालन आय को विभाजित करके की जाती है।।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जून, 2023 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
कृषि वित्तीयन और कृषि ऋण प्रबंधन पर कार्यक्रम	13 से 14 जून, 2023	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक के प्रशिक्षण पर कार्यक्रम	13 से 15 जून, 2023	
बैंकिंग अनुपालन पर कार्यक्रम	19 से 21 जून, 2023	
बैंकों के आंतरिक लेखा-परीक्षा अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	22 से 23 जून, 2023	

संस्थान समाचार

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स – अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक पाठ्यक्रम का सयुक्त रूप से आयोजन

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। इस पाठ्यक्रम की शुरूआत 23 मई, 2023 को सेंट रेगिस हाल, मुंबई में की गई। उक्त पाठ्यक्रम 4-6 घंटों के शिक्षण के समावेश वाले ई-शिक्षण (E-learning) के रूप में है जिसके बाद एक मूल्यांकन सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रमाण पत्र इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाएंगे।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी – संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या उन्हें अधिक समसामयिक, सकल्पनात्मक बनाने तथा महत्तर मूल्य-वर्धन सुनिश्चित करने के लिए पुनरसंरचित एवं संशोधित कर दी गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन विषयों, परीक्षा के स्वरूप, उत्तीर्णन की समय-सीमा, उत्तीर्णन मानदंड आदि के बारे में एक विस्तृत सूचना वेबसाइट पर भी डाली गई है। उक्त संक्रमण को अभ्यर्थियों के लिए अधिक अनुकूल बनाने हेतु नयी पाठ्यचर्या में पुरानी पाठ्यचर्या से कुछेक विषयों के लिए श्रेय (credits) दिये जाने की अनुमति दी गई है। संशोधित पाठ्यचर्या के अधीन परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। संस्थान द्वारा निषेधात्मक (negative) अंक दिये जाने से संबन्धित नियम को आस्थगित कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

आईआईबीएफ द्वारा बैंकिंग एवं वित्त में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (2023-24) के XIIवें बैच की घोषणा

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स को बैंकिंग एवं वित्त में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (2023-24) के XIIवें बैच की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। उक्त कार्यक्रम के लिए पंजीकरण अप्रैल, 2023 में आरंभ हो गया है। इस बैच की शुरूआत जून, 2023 में होगी।

यह कार्यक्रम कार्यरत कार्यपालकों के लिए तैयार किया गया है तथा 10 माह की अवधि वाले इस कार्यक्रम में बैंकिंग एवं वित्त के विभिन्न क्षेत्रों का समावेश है। सप्ताहांत में ऑनलाइन विधि में सत्रों के साथ एक संकर कार्यक्रम तथा उसके बीच में विसर्जन कार्यक्रम आईआईएम कोलकाता कैंपस तथा आईआईबीएफ, मुंबई में एमडीपी इसकी विशेषता है। इस कार्यक्रम के लिए संकाय सदस्यों के रूप में उद्योग एवं शैक्षणिक क्षेत्र से संबन्धित विशेषज्ञों का समावेश होगा। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट – http://www.iibf.org.in देखें।

संशोधित जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए छद्म जांच/परीक्षा सुविधा उपलब्ध

संस्थान जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षाओं के संशोधित ढांचे के अधीन सभी विषयों के लिए प्रति विषय 100 रुपए (जोड़िए कर) की नाममात्र दर पर छद्म (MOCK) जांच/परीक्षा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट http://www.iibf.org.in देख सकते हैं।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के अप्रैल - जून, 2023 तिमाही के लिए आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: ''Competence based Human Resource Management in Banks.''

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/को द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा मार्च, 2023 से अगस्त, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा सितंबर, 2023 से फरवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

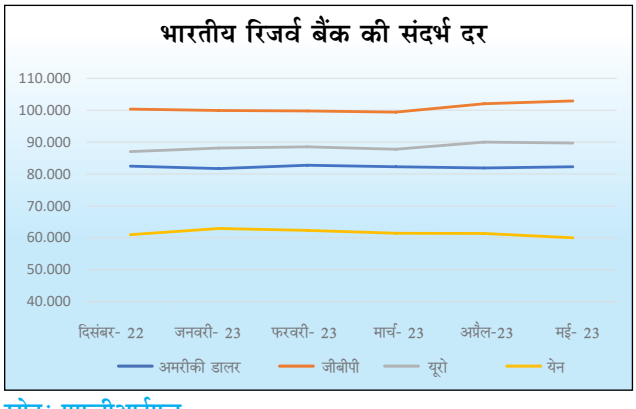

स्रोत: एफबीआईएल

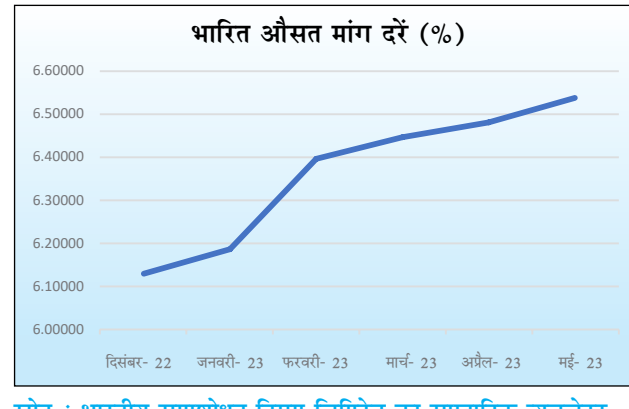

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

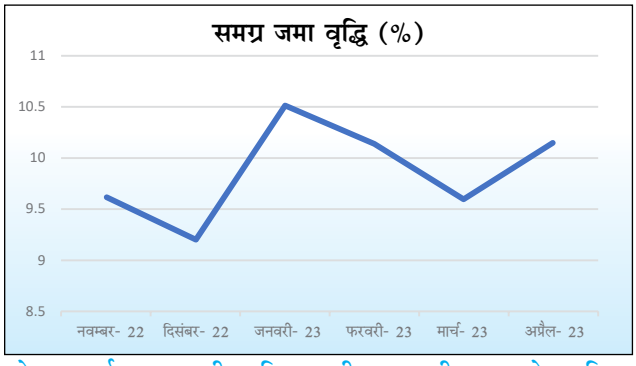

स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मई, 2023

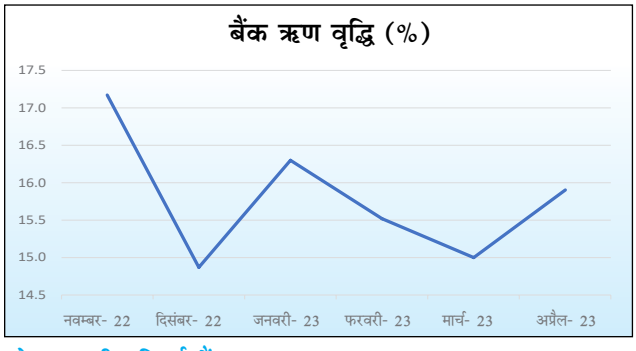

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

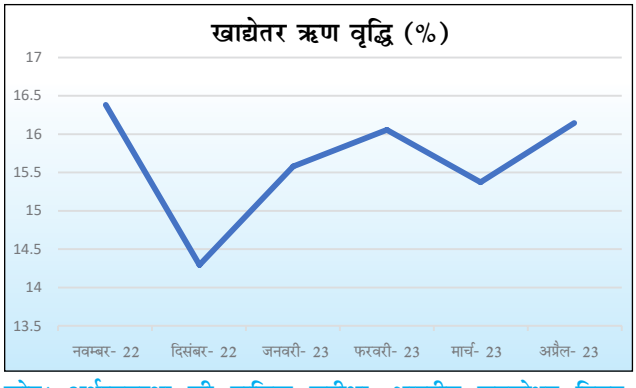

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, मई, 2023

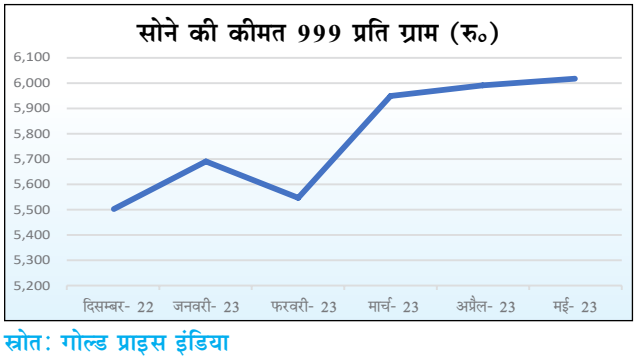

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

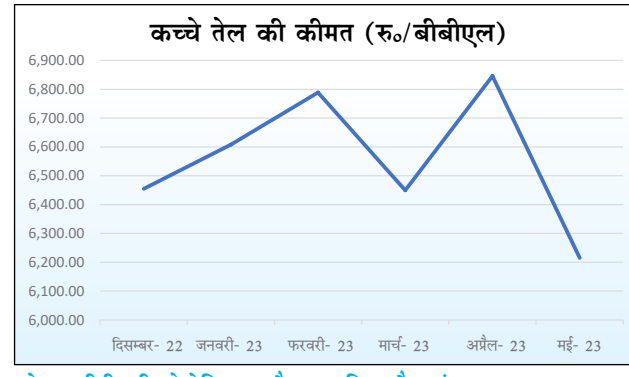

स्रोत : पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

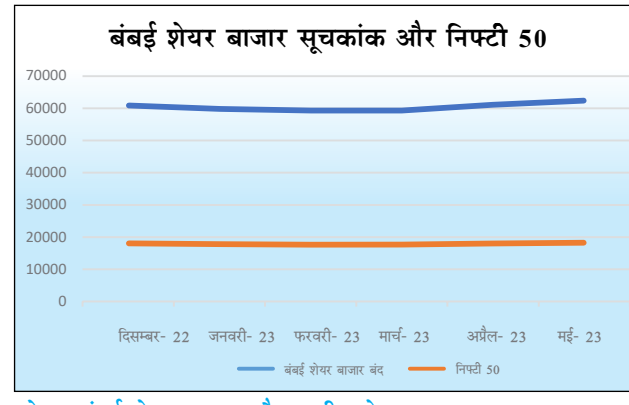

स्रोत : बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in